रेलवे-पुलिस-प्रशासन के समन्वय से सुनियोजित भीड़ प्रबंधन

कड़ी सुरक्षा और आधारभूत ढांचे के साथ होगा सिंहस्थ 2028 का सफल आयोजनः डीजीपी श्री मकवाणा

» सिंहस्थ 2028 की तैयारियों हेतु रेलवे अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समन्वय बैठक कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार, भोपाल में आयोजित

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

प्रयागराज महाकुंभ के अनुभवों के आधार पर आधुनिक तकनीक और ICCC व्यवस्था लागू करने की तैयारी सिंहस्थ 2028 के सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आयोजन के दृष्टिगत आज कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार, भोपाल में पुलिस, रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी सिंहस्थ के दौरान संभावित अत्यधिक भीड़, यातायात प्रबंधन, रेल संचालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा आधारभूत संरचना के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विस्तृत योजना पर चर्चा की गई। विशेष रूप से पूर्व में आयोजित महाकुंभ-2025, प्रयागराज के अनुभवों से सीख लेते हुए आधुनिक तकनीकों, बेहतर समन्वय एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया।

बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने कहा कि आगामी सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ एवं जिला प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक रहने की संभावना है, जिसके लिए पूर्व से ही व्यवस्थित एवं चरणबद्ध योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबंधन के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए तथा शाही स्नान एवं अन्य प्रमुख अवसरों पर विशेष ट्रैफिक एवं भीड़ नियंत्रण योजना तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्राउड मैनेजमेंट के तहत एंट्री एवं एग्जिट मार्ग पृथक-पृथक रखे जाएं तथा अंतिम समय में प्लेटफॉर्म परिवर्तन से बचा जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। पुलिस महानिदेशक ने उज्जैन, इंदौर, रतलाम, भोपाल के साथ-साथ ओंकारेश्वर रोड एवं सीहोर क्षेत्र के स्टेशनों को भी ध्?यान में रखते हुए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। उन्होंने फुटओवर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने, पर्याप्त संकेतक, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम एवं अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

डीजीपी ने अपराध नियंत्रण के संबंध में जीआरपी एवं आरपीएफ को विशेष सतर्कता बरतने, इंटेलिजेंस तंत्र को मजबूत करने तथा सभी स्टेशनों, होल्डिंग एरिया एवं पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कवरेज एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए संयुक्त टीमें सदैव तैयार रहें, जिससे किसी भी स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उत्तरप्रदेश डीजी (रेल) श्री प्रकाश डी. ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के अनुभव साझा करते हुए बताया कि बड़े आयोजनों में भीड़ का सटीक आकलन (क्राउड असेसमेंट) अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2013 की घटना सहित पूर्व घटनाओं से सीख लेते हुए मल्टी-लेवल क्राउड मैनेजमेंट, प्लेटफॉर्म सुरक्षा, पृथक एंट्री-एग्जिट, कलर कोडिंग, साइनएज, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं होल्डिंग एरिया आधारित भीड़ नियंत्रण व्यवस्था को अत्यंत प्रभावी बताया।

टीकमगढ़ के डायल 112 हीरोज

शादी समारोह में करंट लगने से घायल हुए युवक को तत्काल अस्पताल पहुँचाया

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

टीकमगढ़ जिले के थाना बल्देवगढ़ क्षेत्र में डायल-112 जवानों की त्वरित प्रतिक्रिया और संवेदनशील कार्यवाही से शादी कार्यक्रम के दौरान करंट लगने से घायल हुए एक युवक को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उपचार दिलाया गया। इस कार्रवाई ने आपात स्थिति में डायल-112 की तत्परता और जिम्मेदारी को एक बार फिर साबित किया।

05 मई को रात्रि राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बल्देवगढ़ अंतर्गत ग्राम बुदौर में शादी कार्यक्रम के दौरान एक युवक को बिजली के तार से करंट लग गया है और वह घायल हो गया है। सूचना मिलते ही बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया।

डायल-112 आरक्षक श्री धीरेंद्र यादव एवं पायलट श्री रविंद्र सिंह यादव ने मौके पर पहुँचकर पाया कि विवाह कार्यक्रम के दौरान विद्युत तार के संपर्क में आने से युवक को करंट लग गया था। डायल-112 जवानों ने बिना विलंब किए घायल युवक को एफआरव्ही वाहन से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्देवगढ़ पहुँचाया। डायल-112 जवानों की समयबद्ध और जिम्मेदार कार्रवाई से घायल युवक को शीघ्र चिकित्सा सहायता मिल सकी। डायल 112 हीरोज श्रृंखला के अंतर्गत यह घटना दर्शाती है कि मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना–चाहे वह घरेलू, सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रम से जुड़ी हो–में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तैयार और प्रतिबद्ध है।

सुशासन का है यह दौर, जिसका ओर है ना छोर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जैसी नीयत होती है, वैसी ही बरकत होती है। हमारा प्रदेश आज देश में सुशासन के जरिए लोक कल्याण का पर्याय बन चुका है। लोक कल्याण के अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन जो हृदय की गहराईयों से लोगों के कल्याण की सोच रखते हैं, ईश्वर उसकी मदद करते हैं। हमारी सरकार लोक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्ध सोच, कर्मठता, समर्पण और नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। आज प्रदेश के हर कोने में, हर छोर में सुशासन का दौर है। उन्होंने कहा कि हमने 'विरासत से विकास' की परम्परा को कायम रखते हुए जनहित में अधिकाधिक नवाचार अपनाकर प्रदेश की तरक्की के नए रास्ते बनाये हैं। प्रदेश की जनता की सेवा, कल्याण और सबके जीवन में खुशहाली लाने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विधायकों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'सच्चा वादा- पक्का काम' यही हमारी सरकार का मूलमंत्र है। प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वन पर्यटन बढ़ाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन बढ़ेगा तो प्रदेश में रोजगार बढ़ेंगे और इसका सीधा लाभ हमारे अपने नागरिकों को होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आयोग-निगम-मंडलों एवं विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को अवसर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का प्रदेश के विभिन्न निगम-मंडल-बोर्ड एवं विकास प्राधिकरणों के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुए गरिमामय समारोह में अभिनंदन कर आभार जताया। अभिनंदन समारोह में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप भी उपस्थित थे। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रामनिवास रावत, मध्यप्रदेश राज्य सहरिया विकास प्राधिकरण की नवनियुक्त अध्यक्षा श्रीमती गुड्डीबाई आदिवासी, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के नवनियुक्त

अध्यक्ष डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव, निगम के उपाध्यक्ष श्री संजीव कांकर, रतलाम विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्षमुख्यमंत्री डॉ. यादव को जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतीक चिन्ह भी दिए गए।

4000 शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी

भोपाल। भोपाल में बुधवार को DPI कार्यालय के सामने प्रदर्शन के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने 4,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी किए। चयनित अभ्यर्थियों को 12 मई से 18 मई 2026 के बीच ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों का चयन (चॉइस फिलिंग) करना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया- लोक शिक्षण संचालनालय ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह नियमों के अनुसार और साफ तरीके से की जा रही है। सरकार सभी योग्य उम्मीदवारों को समय पर नौकरी देने के लिए काम कर रही है। 2022 से चल रही भर्ती प्रक्रिया, 2025 में आया रिजल्टअभ्यर्थियों के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हुई थी।

आम सूचना/ नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पंकज कुशवाहा पिता श्री बालकिशन कुशवाह आयु बयरक निवासी थार, पलेरा, टीकमगढ (म.प्र.) है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शंकर कुशवाहा पिता बालकिशन कुशवाहा (SHANKAR KUSHWAHA S/O BALKISHAN KUSHWAHA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजो एवं जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है।
प्रकाशन उपरांत मेरा नाम पंकज कुशवाहा पिता श्री बालकिशन कुशवाह (PANKAJ KUSHWAHA S/O BALKISHAN KUSHWAHA) के नाम से जाना, पहचाना व पढा जावें।

पुराना नाम
शंकर कुशवाहा पिता बालकिशन कुशवाहा
(SHANKAR KUSHWAHA S/O BALKISHAN KUSHWAHA)
नया नाम
पंकज कुशवाहा पिता श्री बालकिशन कुशवाह
(PANKAJ KUSHWAHA S/O BALKISHAN KUSHWAHA)

आम सूचना/ नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम दिलीपसिंह गुर्जर आ. श्री अमृतलाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी - ग्राम बरखेडी, पोस्ट बाईहेडा, बरखेडी बिओरा राजगढ (म.प्र) है। परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम महेंद्र पिता दिलीप सिंह (MAGENDRA S/O DILOP SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज होने से प्रमाणित है।
प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अर्जित गुर्जर पिता दिलीप गुर्जर (ARJIT GURJAR S/O DILIP GURJAR) के नाम से जाना, पहचाना व पढा जावें।

पुराना नाम
महेंद्र पिता दिलीप सिंह
(MAGENDRA S/O DILOP SINGH)
नया नाम
अर्जित गुर्जर पिता दिलीप गुर्जर
(ARJIT GURJAR S/O DILIP GURJAR)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कल्लो बी पत्नी वहीद खान निवासी ग्राम कहारी कदीम ग्राम पंचायत लसूडियाखास जनपत पंचायत सीहोर, जिला सीहोर म.प्र. मेरे आधार में कार्ड में त्रुटिवश नाम कलोवी बी दर्ज हो गया है जो कि गलत है मेरा वास्तविक सही नाम कल्लो बी है जिसको सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावें मेरा वास्तविक सही नाम वोटर कार्ड, पेन कार्ड, में दर्ज होने से प्रमाणित है।

पुराना नाम
कलोवी बी
नया नाम
कल्लो बी

आम सूचना/ नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मनीष चौहान पिता सूबेदार चौहान आयु वयस्क निवासी एम.बी. 2/12, 1250 अर्जुन नगर, हुजूर, के.टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र) है। परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अक्छरा चौहान पुत्री मनीष चौहान (AKCHARA CHOUHAN D/O MANISH CHOUHAN) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है।
प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम अक्षरा चौहान पुत्री मनीष चौहान (AKSHARA CHOUHAN D/O MANISH CHOUHAN) के नाम से जाना, पहचाना व पढा जावें।

पुराना नाम
अक्छरा चौहान पुत्री मनीष चौहान
(AKCHARA CHOUHAN D/O MANISH CHOUHAN)
नया नाम
अक्षरा चौहान पुत्री मनीष चौहान
(AKSHARA CHOUHAN D/O MANISH CHOUHAN)

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, अमरेश कुमार तिवारी आ. श्री वी एन तिवारी आयु वयसक, निवासी-61 बी, प्रेम नगर, नारियल खेडा, हुजुर, भोपाल म.प्र. है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश पारस तिवारी आ. श्री अमरेश कुमार तिवारी (PARAS TIWARI S/O AMRESH KUMAR TIWARI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम आर्थिक तिवारी आ. श्री अमरेश कुमार तिवारी (ARTHIK TIWARI S/O AMRESH KUMAR TIWARI) है जो कि मेरे पुत्र के जन्मप्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपनी पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ।
प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम आर्थिक तिवारी आ. श्री अमरेश कुमार तिवारी (ARTHIK TIWARI S/O AMRESH KUMAR TIWARI) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम
पारस तिवारी आ. श्री अमरेश कुमार तिवारी
(PARAS TIWARI S/O AMRESH KUMAR TIWARI)
नया नाम
आर्थिक तिवारी आ. श्री अमरेश कुमार तिवारी
(ARTHIK TIWARI S/O AMRESH KUMAR TIWARI)

भवदीय
अमरेश कुमार तिवारी आ. श्री वी एन तिवारी निवासी-61 बी, प्रेम नगर, नारियल खेडा, हुजुर, भोपाल म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं प्रदीप खेरा निवासी म0न0 22 ए श्रीनगर कालोनी निशातपुरा बैरसिया रोड भोपाल म0प्र0।
मेरी पुत्री का पूर्व नाम अनन्ता खेरा है जो मेरी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज है। मेरे द्वारा अपनी पुत्री का नाम परिवर्तन कर नया नाम वैष्णवी खेरा VAISHNAVI KHERA कर लिया गया है।
अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम वैष्णवी खेरा VAISHNAVI KHERA के नाम से जाना पहचाना एवं पढ़ा लिखा दर्ज किया जाये।

पुराना नाम
अनन्ता खेरा
पुत्री श्री प्रदीप खेरा
नया नाम
वैष्णवी खेरा
VAISHNAVI KHERA
पुत्री श्री प्रदीप खेरा

आम सूचना/ नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शर्मा सिकरवार पिता बसंत सिंह चौहान आयु वयस्क निवासी- 195, गुरूनानक रोड के पीछे की झुग्गिया, हुजूर, बैरागढ, भोपाल (म.प्र) है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मीना सिंह पिता बीर सिंह सिकरवार (MEENA SINGH D/O BIR SINGH SIKARWAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही मेरे पेन कार्ड में दर्ज होने से प्रमाणित है।
प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम शर्मा सिकरवार पिता बसंत सिंह चौहान (SHARMA SIKARWAR D/O BASANT SINGH CHOUHAN) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावें।

पुराना नाम
मीना सिंह पिता बीर सिंह सिकरवार
(MEENA SINGH D/O BIR SINGH SIKARWAR)
नया नाम
शर्मा सिकरवार पिता बसंत सिंह चौहान
(SHARMA SIKARWAR D/O BASANT SINGH CHOUHAN)

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.02280203201506-एपीपी-2710289

इश्तहार

आवेदक परमानंद पाटीदार आ./पत्नी स्व. श्री कैलाश नारायण निवासी ग्राम सलैया द्वारा ग्राम चीचली स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर 121, 122, 123 क्षेत्रफल 0.8000 हे. पर विक्रय पत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/05/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 04/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार
तहसील कोलार जिला-भोपाल

आम सूचना/ नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम क्षमा यादव पिता किरण सिंह आयु वयस्क निवासी 110/2, प्रेमपुरा, प्रेमपुरा, बालमपुर, भोपाल (म.प्र) है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम छमा अहीर द्वारा राहुल (CHHAMA AHIR C/O RAHUL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही मेरे वोटर आईडी कार्ड में दर्ज होने से प्रमाणित है।
प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम क्षमा यादव पिता किरण सिंह (KSHAMA YADAV D/O KARAN SINGH) के नाम से जाना, पहचाना व पढा जावें।

पुराना नाम
छमा अहीर द्वारा राहुल
(CHHAMA AHIR C/O RAHUL)
नया नाम
क्षमा यादव पिता किरण सिंह
(KSHAMA YADAV D/O KARAN SINGH)

आम सूचना/ नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शिवम मीणा आ. श्री महेश कुमार आयु वयस्क निवासी- ग्राम धनखेडी, धनखेडी जागीर, बोरखेडा जागीर राजगढ़ (म.प्र.) है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शुभम मीणा संबोधित महेश मीणा (SHUBHAM MEENA S/O MAGESH MEENA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम मेरे आय प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है।
प्रकाशन उपरांत मेरा नाम शिवम मीणा आ. श्री महेश कुमार (SHIVAM MEENA S/O MAHESH KUMAR) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावें।

पुराना नाम
शुभम मीणा संबोधित महेश मीणा
(SHUBHAM MEENA S/O MAGESH MEENA)
नया नाम
शिवम मीणा आ. श्री महेश कुमार
(SHIVAM MEENA S/O MAHESH KUMAR)

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 10843/अ-6/सन्-2025-26
मौजा- लाम्बाखेड़ा तहसील हुजूर, भोपाल

:: उद्घोषणा पत्र ::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। **आवेदक श्री सोहेल खान पुत्र श्री वाहिद खान साहब निवासी- म.न.716 गली 06 अहमद अली कालोनी ऐशबाग भोपाल (म.प्र.)** ने म.प्र. भू-रा.संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम **लाम्बाखेड़ा** तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक-11/1/2 रकबा 450 वर्गफिट भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध मे किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 15.04.2026 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक को 25.03.2026 जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर, भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, मो. जमीर खान पुत्र मो. बशीर खान, आयु 49 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 07 पेडी स्कूल बी.एम. कॉलेज के पीछे तहसील व जिला विदिशा म.प्र. का निवासी होकर शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ। 1. यह कि मेरी पुत्री बुशरा फातमा (BUSHRA FATMA), की मार्कशीट में त्रुटीवश अंकित नाम बुशरा फातिमा (BUSHRA FATIMA) पिता जमीर खान (JAMEER KHAN) माता साजदा बी (SAJDA BEE) हैं। जिसे मैं वर्तमान में बुशरा फातमा (BUSHRA FATMA) पिता मो. जमीर खान (MO. ZAMEER KHAN) माता साजदा बानो (SAJDA BANO) कराना चाहता हूँ।
2. यह कि मेरी पुत्री बुशरा फातमा (BUSHRA FATMA), की मार्कशीट में मेरी पुत्री का नाम बुशरा फातिमा (BUSHRA FATIMA) पिता जमीर खान (JAMEER KHAN) माता साजदा वी (SAJDA BEE) अंकित है जो कि त्रुटिवंश अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम बुशरा फातमा (BUSHRA FATMA) पिता मो. जमीर खान (MO. ZAMEER KHAN) माता साजदा बानो (SAJDA BANO) है, जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र एवं सभी शासकीय दस्तावेजों में भी बुशरा फातमा (BUSHRA FATMA) पिता मो. जमीर खान (MO. ZAMEER KHAN) माता साजदा बानो (SAJDA BANO) है, जिसे भविष्य में भी इसी नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा जाए। 3. यह कि उक्त तथ्यों की पुष्टि एवं सत्यता के संबंध में यह शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

आम सूचना/ नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं त्रिवेणी वयस्क निवासी-शुक्ला पत्नि श्री ए.पी. शुक्ला आयु ई-3/146, अरेरा कालोनी हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 की निवासी हूँ।
मेरा वास्तविक नाम त्रिवेणी शुक्ला है, मेरे समस्त पुराने दस्तावेजों में मेरा नाम त्रिवेणी आचार्य अंकित है क्योंकि मेरी पूर्व में शरद आचार्य से विवाह हो चुका था, तथा मेरे पूर्व पति की अकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण मेरा दूसरा विवाह ए.पी. शुक्ला से संपन्न हो गया है। अब मैं प्रकाशन उपरांत अपने नये एवं वास्तविक नाम त्रिवेणी शुक्ला से जानी पहचानी जाउंगी एवं सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजो में मेरा यहीं नाम रहेगा तथा संबोधित किया जायेगा।

पुराना नाम
त्रिवेणी आचार्य
नया नाम
त्रिवेणी शुक्ला
आवेदिका- त्रिवेणी शुक्ला

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.
आरएस/444/0760/6528/26

इश्तहार

आवेदक श्रीमती बसंती ओसवाल आ./पत्नी स्व. श्री गोटू ओसवाल निवासी शिवाजी नगर भोपाल मप्र द्वारा ग्राम सुहागपुर स्थित खसरा नंबर 04 ई (प्लाट) क्षेत्रफल 34.63 वर्गमीटर का फौती नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 12/05/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 27/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार
तहसील कोलार जिला-भोपाल

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)
न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र. 0129/अ-6/2026-27

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक ....को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम-लाऊखेडी, 2. खसरा नंबर- 70/1/1/1 3. क्षेत्रफल-1500 वर्गमीटर, 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) 1. उजमा फारूकी पुत्री मेराज उद्दीन फारूकी। 2. मुईन उद्दीन/ मेराज उद्दीन फारूकी निवासी शहर।
आज दिनांक 29/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर, (बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

आम सूचना/ नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम लाखाराम जाट पिता बोदर सिंह आयु वयस्क निवासी-पोस्ट गुराडिया जाट, ते स्वनि, मालवा, वार्ड क. 11, गुराडिया जाट, होशंगाबाद (म.प्र.) है। परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सुरेन्द्र जाट पिता लाखाराम जाट (SURENDRA JAT S/O LAKHARAM JAT) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है।
प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम करन जाट पिता लाखाराम जाट (KARAN JAT S/O LAKAHARMA JAT) के नाम से जाना, पहचाना व पढा जावें।

पुराना नाम
सुरेन्द्र जाट पिता लाखाराम जाट
(SURENDRA JAT S/O LAKHARAM JAT)
नया नाम
करन जाट पिता लाखाराम जाट
(KARAN JAT S/O LAKAHARMA JAT)

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 9050/अ-6/25-26
मौजा-नीलबड़ तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मनोहर सिंह पत्नी श्री संजय सिंह निवासी मकान न. 01 डी के हनी होम्स नयापुरा कोलार रोड शहर भोपाल मप्र, ने द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड वि य पत्र दस्तावेज क्रमांक 059702017ए1159186 दिनांक 29.03.2017 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 105/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा में से -2400 वर्गफिट भूमि ग्राम नीलबड़ प.ह.न. 51 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।
2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 15.05.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 06.04.2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल वृत्त-2 गोविन्दपुरा, भोपाल

:: आम सूचना ::

प्रकरण कमांक 1715/अ-6/2026-27

आवेदक- श्री पुष्पेन्द्र अहिरवार पिता श्री खुशीलाल निवासी भोपाल द्वारा स्थित भूमि ग्राम- भानुपर खसरा क्रमांक 71, 72 के अंशभाग में से रकबा 76.86 वर्गमीटर भूमि का वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में अपत्ति प्रस्तुत ना करने की दशा में या बाद में की गयी आपत्ति पर न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। उदघोषणा न्यायालय की मुद्रा में मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है।

नायब तहसीलदार
नजूल वृत्त-2 गोविन्दपुरा भोपाल

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)
न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र. 0183/अ-6/2026-27

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक ....को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम-लाऊखेडी, 2. खसरा नंबर- 37/2, 180/1/2/1/1/1 3. क्षेत्रफल-935.58 वर्गमीटर, 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) 1. अदलीव अहमद/ओसामा अहमद। निवासी शहर।
आज दिनांक 29/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर, (बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-10643/अ-6/25-26
मौजा-जगदीशपुर तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक श्री श्रवण चौहान पुत्र श्री रणजीत सिंह चौहान निवासी-53 भिलाखेड़ी सनोती जिला विदिशा (म.प्र) ने म.प्र.भू-रा. संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम जगदीशपुर तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक-371 रकबा 1200 वर्गफिट भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाग पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 26.03.2026 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 13.03.2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर, भोपाल

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)
न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र. 0128/अ-6/2026-27

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक ....को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम-लाऊखेडी, 2. खसरा नंबर- 70/1/1/1 3. क्षेत्रफल-1500 वर्गमीटर, 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) 1. उजमा फारूकी/मेराज उद्दीन। 2. मुईन उद्दीन फारूकी। मेराज उद्दीन फारूकी निवासी शहर।
आज दिनांक 29/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर, (बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

आम सूचना/ नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सीता पुत्री श्री गुलाब सिंह आयु लगभग 36 वर्ष निवासी-839 बस स्टाप नई बस्ती बागमुगालिया हुजूर भोपाल 462043 म0प्र0 है। परन्तु मेरा वास्तविक नाम सीता (Seeta) पिता का नाम गुलाब सिंह निवासी-839 बस स्टाप नई बस्ती बागमुगालिया हुजूर जिला भोपाल है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कोमल संतोष इंगोले (Komal Santosh Ingole) एवं पिता का नाम मु. मोहजा इंगोले तथा पता सिसोड जि वाशीम मोहजा इंगोले सबड वाशीम महाराष्ट्र 444506 अंकित हो गया है, तथा वोटर आईडी में मेरा सही नाम सीता (Seeta) पिता का नाम गुलाब सिंह निवासी-839 बस स्टाप नई बस्ती बागमुगालिया हुजूर जिलाभोपाल अंकित है।
अब मै प्रकाशन उपरांत अपने वास्तविक व नया नाम एवं पता सीता (Seeta) पिता का नाम गुलाब सिंह निवासी-839 बस स्टाप नई बस्ती बागमुगालिया हुजूर जिला भोपाल से जानी पहचानी जाउंगी एवं सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजो में मेरा का यहीं नाम रहेगा।
यह कि उक्त शपथपत्र में अपने नाम परिवर्तन के समर्थन में राजपत्र कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत कर रही हूँ।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. 03 बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)

आवेदन कमांक 0228 RD07-APP-28042890 ग्राम का नामः इमलिया जरगर प.ह.नं. 12, तहसील कोलार, जिला भोपाल

-ः सूचना पत्र :-

प्रति,
01. श्रीमति हेमलता जैन पत्नी श्री राजीव जैन, निवासी-ए 01/203 पारस सिटी ई-3 अरेरा कालोनी भोपाल (मप्र)। 02. श्री मुकुल मीना पुत्र श्री रमेश मीना, खातेदार-ग्राम-इमलिया जरगर तहसील जिला भोपाल (मप्र)। 03. श्रीमति अनुराधा पटेल पत्नी श्री दिनेश कुमार पटेल, निवासी-मकान न.-15 ईडन गार्डन चूनाभट्टी 04. श्रीमति मिश्री बाई बेवा श्री पन्नालाल, श्री नरेश लक्ष्मीबाई निर्मलाबाई व अन्य सहखातेदार, ग्राम-इमलिया जरगर तहसील कोलार जिला भोपाल (मप्र)। 05. सर्व साधारण एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारगण।
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक मेसर्स अग्रवाल केपीटल द्वारा भागीदार संचालक अभिनव अग्रवाल पिता श्री अरूण अग्रवाल पता कार्यालीय पता प्लाट नंबर 250 सागर प्लाजा जोन-2 एम पी नगर भोपाल मप्र द्वारा ग्राम इमलिया जरगर प.ह.नं. 12 तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 26/1/1/2/1, कमशः रकबा 0.4050 हे.. 0.0404 हे. कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 0.4454 हे. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 12.05.2026 को समय दोपः 11:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी।
अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है।
आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
रा.नि.म. बैरागढ़ चीचली